न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 94/2020 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2020/00248

1. बंशीलाल पिता पोखरजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. जगदीशचंद्र पिता पोखरजी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. ईश्वर उर्फ उमा शंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. ओमप्रकाश पुत्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. मंगला पुत्री पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. सुशीला पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
6. बसंती पुत्री पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
7. मांगीबाई पत्नी पुत्र लक्ष्मीनारायण जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
8. श्रीमति सागरबाई पत्नी फुलचंदजी धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री कौशल भराडिया – अधिवक्ता विपक्षी क्रमांक 4 व 5

निर्णय

दिनांक :–12.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके मौजा पटीयार प०हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 46 के आराजी नं0 207 रकबा 0. 7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 208 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आराजी न० 209 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नं0 210 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, आराजी नं0 213 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नं0 228 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नं0 272 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.9900 हैक्टेयर कुल लगानी 26 रुपये 52 पैसा भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिसके पुराने साबिक आराजी नं0 71 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नं० 73/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नं0 74 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नं0 74/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नं0 77 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नं0 82/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नं० 88/6 रकबा 2 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात में सेटलमेन्ट [illegible] प्रार्थी की [illegible] बाई बेवा पोखर ब्राहम्ण के नाम 1/6 हक हिस्से से दर्ज चली आ रही थी प्रार्थी की [illegible] के [illegible] होने के बाद वादग्रस्त आराजीयात नामांतरण संख्या 295[illegible] दिनांक 31/01/200[illegible] [illegible] उनके भाई गेन्दमल जगदीशचन्द्र, व बहन घीसीबाई के संयुक्त 1/6 हक हिस्से [illegible] आ रही थी। इस प्रकार प्रार्थी [illegible] वादग्रस्त आराजीयात में 1/6 हिस्से मे से 1/5 हक हिस्सा य[illegible] 1/30 हकहिस्सा निहित [illegible] रहा था जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2057–2060 में खाता नं0 91 पर दर्ज चला आ रहा था, परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से रह गया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ है इसलिए प्रार्थी नवीन राजस्व रेकार्ड में, पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्क्षा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1,2,3,6,7 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कौशल भराड़िया ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र अनुसार निर्णय किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी श्री बंशीलाल पिता पोखर जी ब्राहम्ण निवासी कनेरा का नाम ग्राम कनेरा की खाता संख्या 91/2057–60 में अपनी माताजी की मृत्यु होने से दर्ज रिकॉर्ड था जिसमें उसका हिस्सा 1/30 बताया है। वक्त भूप्रबंध में सहवन से श्री बंशीलाल पिता पोखर ब्राहम्ण का नाम छूट गया। अब वर्तमान में ग्राम कनेरा से पटियार अलग ग्राम बना व प्रार्थी का खाता ग्राम पटियार में आ गया है। गत जमाबंदी व वर्तमान जमाबंदी में खातों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी बंशीलाल का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) – भूप्रबंध संक्रियाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू अभिलेख अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजीयात जिसके नये खाता संख्या 46 के आराजी नंबर 207,208,209,210,213,228 व 272 कुल रकबा 2.9900 हैक्टेयर जिसके पुराने साबिक आराजी नंबर 71 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नंबर 73/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नंबर 74 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नंबर 74/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 77 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नंबर 82/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 88/6 रकबा 2 बीछा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थी की माता जानीबाई बेवा पोखर ब्राहम्ण के नाम 1/6 हक हिस्से से दर्ज चली आ रही थी प्रार्थी की माता जानीबाई के देहान्त होने के बाद वादग्रस्त आराजीयात नामांतरण संख्या 2954 दिनांक 31/01/2008 से प्रार्थी व उनके भाई गेन्दमल,जगदीशचन्द्र, व बहन घीसीबाई के संयुक्त 1/6 हक हिस्से मे दर्ज चली आ रही थी। इस प्रकार प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयात में 1/6 हिस्से मे से 1/5 हक हिस्सा यानि 1/30 हक हिस्सा निहित चला आ रहा था जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2057–2060 में खाता नं0 91 पर दर्ज चला आ रहा था, सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से रह गया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से हुआ है इसिलए नवीन राजस्व रेकॉर्ड में, पूराने राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थी का नाम दर्ज कर तरमीम कर इंद्राज दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा पटियार प०हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 46 के आराजी नं0 207 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 208 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आराजी न० 209 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नं0 210 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, आराजी नं0 213 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नं0 228 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नं0 272 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.9900 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर तरमीम कर इंद्राज किये जाने का दिया जाता है तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम किए जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित विवरण अनुसार निम्नानुसार अमल दरामद करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	किता	रकबा	रेकार्ड अनुसार खातेदारान	कि[illegible]	[illegible]	शुद्धि हेतु प्रस्तावित खातेदारान
1	07	2.99	श्री जगदीशचंद पिता पोखर5/8, ईश्वरलाल उर्फ उमाशंकर 5/144, ओमप्रकाश 5/144,बसंती 5/144,मंगना 5/144 मांगीबाई 5/144,सुशीला 5/144 ब्राहम्ण सा. कनेरा सागरबाई पत्नी	07	2.[illegible]	श्री जगदीश पिता पोखर 18/30, ईश्वर उर्फ उमा शंकर 1/30, ओमप्रकाश 1/30, बसंती 1/30, मंगला 1/30, ब्राहम्ण सा कनेरा, सागरबाई पत्नी फुलचंद 1/6 धाकड़ सा कनेरा श्री बंशीलाल पिता पोखर 1/30 ब्राहम्ण सा. कनेरा

Scanned by CamScanner

			फुलचंद 1/6 धाकड़ सा. कनेरा			

उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner